तारीख क्रम	क्रम का कार्यवाही एवं हस्ताक्षरण अंश
18/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उपस्थित। वादी उपस्थित से 1,2,4,5,9 एवं पेश की स्वीकृति Register रजिस्टर से पोषार करना है। दिनांक 22/12/25 को पेश हो। अधिकारी
22/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उपस्थित। बादग्रस्त भूमि में वादीगण अक्षम खातेदार काश्तकार हैं। मूल दावा पत्रावली में प्राथमिक डिक्री दावा स्वीकार हो चुका है। दावे के विचरण चीन रहते हुए बादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगड़ने की संभावना रहती है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है। इसलिए अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आदेश है कि भूमि खासरा नंबर नया 102, पुराना 100 के खसरा नं. 121, 132, 133, 153, 327, 328, 371, 446, 447, 448, 453, 454, 69, 70, 74, 80, 81, 85, 86, 91, 92, 97 कुल किता 23, कुल रकबा 8.37 हैक्टे., तथा नया खाता सं. 100, पुराना 98 के खसरा नं. 12, 13, 833/11 कुल किता 03 कुल रकबा 0.98 हैक्टे. में मूल वाद के निर्णय होने तक वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों को यथास्थिति निषेधाज्ञा से पाबंद

लगातार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया जाता है कि मूलवाद सु. नं. 150/2025 राजेश बनाम जगन्ती का निर्णय होने तक मौका स्थ रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें। प्रकरण फैसलशुमार होकर मूलवाद के हमफिता हो। 22/12/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	